न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर(प्रथम श्रेणी)/ उप जिलाधिकारी मवाना(मेरठ)

वाद सं0 2-0 अन्तर्गत धारा 143 जमी0वि0अधि0

नीलकण्ठ एजुकेशनल टस्ट द्वारा डा0 सोमेन्द्र बनाम सरकार

ग्राम मवानाखुर्द परगना हस्तिनापुर
तहसील मवाना

निर्णय दि0 31/7/12

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नीलकण्ठ एजुकेशनल टस्ट द्वारा डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह तोमर नि0 शास्त्रीनगर मेरठ के प्रा0पत्र दिनांक 27-[illegible]-2012 के आधार पर प्रारम्भ हुई है। जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि ग्राम मवानाखुर्द तहसील मवाना के ख0न0 107 क्षेत्र0 1.593 है0 के 1/2 भाग क्षेत्र0 0.7965है0 के चारों ओर आबादी बनी है। उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य,मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन,बागवानी कार्य नही हो रहा है। अतः उक्त भूमि को आबादी दर्ज कर लगान समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।

तहसीलदार मवाना की आख्या दिनांक 31-7-2012 की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम मवानाखुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ में भूमि ख0न0 107 क्षेत्र0 1.593 है0 के 1/2 भाग क्षेत्र0 0.7965है0 भूमि में मौके पर आबादी बनानी है। उक्त भूमि में मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागबानी व कृषि कार्य नही हो रहा है। अकृषिक प्रयोग में आ रही है। जिसको आबादी दर्ज दिये जाने हेतू तहसीलदार मवाना द्वारा संस्तुति की गई है।

शासनादेश सं0 8164/5-49ए0/03 दिनांक 28/01/2004 में यह व्यवस्था दी गई है कि कृषि भूमि का भू -उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा-143 के अनर्तगत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा इसे गैर कृषि उपयोग हेतू प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टांम्प अपवंचना हो रही है। अतः राजकीय हित में इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मवाना की आख्या दिनांक 31-7-2012 में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। ऐसी स्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नही है।

आदेश

भूमि स्थित ग्राम मवानाखुर्द परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ के खाता सं0 82 के ख0न0 107 क्षेत्र0 1.593 है0 के 1/2 भाग क्षेत्र0 0.7965है0 भूमि को तहसीलदार मवाना की आख्या दिनांक 31-7-2012 के आधार पर शासनादेश के कम में स्टाम्प अपवंचना रोकने के उददेश्य से धारा-143 जमी0वि0अधि0 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार मवाना को राजस्व अभिलेखों की दुरूस्ती हेतू तथा एक प्रति उप निबन्धक मवाना को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवे।

दिनांक: 31/7/2012

31/7/12

(अरविन्द कुमार मिश्र)
असिस्टेन्ट कलक्टर(प्रथम श्रेणी)/उप जिलाधिकारी
मवाना

नाम........
प्रा० पत्र का दि०....27/8/12
तैयारी का दि०....04/9/12
जारी करने का दि०....04/9/12
हस्ताक्षर........

प्रमाणित
अहलमद माल
न्यायालय उप जिलाधिकारी मवाना
जनपद-मेरठ।